

वनिरिमाताओं को जमिमेदारियां:

- नीतिका नरिमाण इस प्रकार कथिया जाना चाहयि कयिह वाहन वनिरिमाताओं पर पुराने वाहनों के न्यूनतम 80-85 परतशित भाग को पुनः प्रयोज्य, पुनर्रप्राप्तयोग्य, पुनर्रचकरण (Reusable, Recyclable, Recoverable- 3R) करने के लयि बाध्य करती हो ।
- वाहनों के नरिमाण में सीसा, पारा, कैंडमयिम या हेक्सावैलेंट क्रोमयिम जैसी जहरीली धातुओं का उपयोग नहीं कथिया जाना चाहयि ।
- नीतमें 'वसितारति नरिमाता जमिमेदारी' (Extended Producer Responsibility- EPR) जैसे प्रावधानों को शामिल कथिया जाना चाहयि, नयिमों का नरिमाण इस प्रकार कथिया जाना चाहयि कयिे कानूनी रूप से बाध्यकारी हो ।

क्लस्टर आधारति दृष्टकिण:

- नीतिके तहत बंदरगाहों के पास पुनर्रचकरण क्लस्टर स्थापति कथि जाने की योजना है जो देश में ऑटोमोबाइल वनिरिमाण उद्योग को बढ़ावा देगी ।

नीतिका महत्त्व:

- ऑटोमोबाइल उद्योग के लयि कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, क्योकनिवीन वाहनों के उत्पादन में इन पुराने वाहनों से नकिले प्लास्टकि, रबर तथा एल्यूमीनयिम, ताँबा जैसी धातुओं का प्रयोग कथिया जाएगा ।
- वाहन-जनति प्रदूषण में पुराने वाणज्यिक वाहनों का हस्तिा बहुत अधिकि (लगभग 65% तक) है । इन पर प्रतबिंध लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा ।
- इस नीतिके लागू होने से नवीन वाहनों के उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है । इससे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार बढ़ाने में मदद मलिंगी ।

नषिकर्रष:

- पर्यावरणीय नुकसान और उत्सर्जन को कम करने तथा COVID-19 महामारी के बाद के समय में भारत को 'हरति अर्थव्यवस्था' बनाने के हस्तिे के रूप में कबाड़ से सामग्री को पुनर्रप्राप्त करने के लयि एक अच्छी तरह से डज़ाइन की हुई नवीन परमिर्रजन/कबाड़ नीतिकी आवश्यकता है ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-vehicle-scrappage-policy>

